## विचार बिन्दु

कल्पना विश्व पर शासन करती है। –नेपोलियन

# बंजर व अनुपयोगी भूमि पर बिजली की खेती

बंजर या अनुपयोगी भूमि पर बिजली की खेती अजीब अवश्य लग रही है पर सरकार की इस योजना में राजस्थान लीडर प्रदेश बनता जा रहा है। रेगिस्तानी प्रदेश होने से बंजर और अनुपयोगी भूमि की प्रदेश में अधिकता है। यह बंजर और बेकार भूमि बिजली उत्पादन करन लगे और उत्पादित बिजली की खरीद भी 25 साल के लिए तय हो जाए तो काश्तकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे जहां अनुपयोगी भूमि से बिजली निपजने लगेगी तो सरकार को भी सस्ती दर पर बिजली मिलेगी और काश्तकार की भी निश्चित आय सुनिश्चित हो सकेगी।

राजस्थान सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए अनुकूल प्रदेशों में प्रमुख प्रदेश है। इसलिए राजस्थान सरकार और किसान दोनों ही इस योजना में लीडर की भूमिका में आगे आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना प्रदेश के बंजर और खेती योग्य भूमि नहीं होने की स्थिति से यह भूमि भी बिजली के उत्पादन के लिए उपजाऊ हो गई है। दरअसल केन्द्र सरकार ने कुसुम योजना के तीन कंपोनेंट बनाए हैं और तीनों ही कंपोनेंट किसानों से जुड़े होने के साथ ही उनके लिए लाभकारी भी है। कुसुम ए कंपोनेंट तो पूरी तरह से अन्नदाता की अनुपयोगी भूमि को नियमित आय का साधन बनाने का माध्यम है।

केन्द्र सरकार की इस योजना को राजस्थान ने हाथों-हाथ लिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राज्य सरकार की मशीनरी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए युद्धस्तर पर जुट गई। इस योजना की क्रियान्विति की सबसे बड़ी बाधा ऐसी भूमि पर सोलर प्लांट लगाने पर आने वाले खर्च के लिए ऋण की सहज उपलब्धता नहीं होना रहा है। किसान के पास इतना पैसा नहीं तो बंजर भूमि से आय भी नहीं। ऐसे में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्तपोषण पहली आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस मुद्दें को प्रभावी तरीके से विभिन्न स्तरों पर उठाया भी गया पर खास परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा और अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी व राज्य के एसीएस एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल के सीधे वित्तदायी बैंकर्स से संवाद कायम करने से सकारात्मक हल निकल सका है। बैंकों से सहमति के अनुसार किसानों को कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत बंजर व बेकार भूमि पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण मिल सकेगा।

राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल बैंकों को यह समझाने में पूरी तरह सफल रहे कि इस योजना में वित पोषण में बैंकों को किसी तरह का जोखिम नहीं है। सीधी सी बात है बंजर भूमि में लगे सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन होगा। उत्पादित बिजली सीधे ग्रीड में जाएगी। संबंधित ग्रीड द्वारा 25 साल तक 3 रु.14 नए पैसे प्रति यूनिट की दर से काश्तकार को भुगतान किया जाएगा। बैंकों से संवाद में यह तय हो सका कि एस्क्रो खाते के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया होगी जिससे डिस्काम द्वारा खरीदी गई बिजली का भुगतान सीधे काश्तकार के बैंक के ऋण खाते में किस्त के रुप में व शेष राशि काश्तकार के स्वयं के खातें में जमा हो सकेगी। इससे बैंक की किस्त भी समय पर जमा होना सुनिश्चित हो सकेगा और काश्तकार को भी भुगतान प्राप्त हो सकेगा। यह अपने आप में सकारात्मक सोच व समझ का ही परिणाम है।

**राजस्थान सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए अनुकूल प्रदेशों में प्रमुख प्रदेश है। इसलिए राजस्थान सरकार और किसान दोनों ही इस योजना में लीडर की भूमिका में आगे आए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं कुसुम योजना प्रदेश के बंजर और खेती योग्य भूमि नहीं होने की स्थिति से यह भूमि भी बिजली के उत्पादन के लिए उपजाऊ हो गई है।**

यह सही है कि कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन में समूचे देश में राजस्थान पहले स्थान पर होने के बावजूद बैंकों से ऋण मिलने में आ रही दिक्कतों के कारण यह योजना अधिक गति नहीं पकड़ पा रही थी। अभी तक इस योजना में राजस्थान में 14 संयत्र स्थापित हो चुके हैं। अक्षय ऊर्जा निगम के पास 722 मेगावाट क्षमता स्थापना के 623 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान के बाहर केवल एक प्रदेश में ही केवल मात्र एक संयत्र स्थापित होने की जानकारी है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल इस योजना को धरातल पर लाने में सहायक सिद्ध होगी।

राजस्थान सरकार की कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि किसानों को इस योजना में आसानी से वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार से लेकर वित्तदायी संस्थाओं बैंकों से लगातार आग्रह किया जाता रहा है। सीधे संवाद का ही परिणाम रहा है कि देश के कुछ बैंकों खासतौर से केनरा व एयू बैंक आदि ने किसानों को अब बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण देने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। चर्चा के दौरान एक-दो नही अपितु सभी आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने पर सहमति से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे व प्रदेश की बंजर व अनुपयोगी भूमि भी विद्युत उत्पादन कर सोना उगलने लगेगी।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना तीन कंपोनेंट में संचालित हो रही है। इसमें ए कंपोनेंट में राजस्थान विद्युत वितरण निगमों के 33/11 केवी सबस्टेशन के 5 किलोमीटर दायरें में किसानों/विकासकर्ताओं की बंजर व अनुपयोगी भूमि पर आधा किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के सोलर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना कर सकते हैं। इन सोलर सयंत्रों पर उत्पादित बिजली को 3 रुपए 14 पैसे की दर पर 25 साल तक संबंधित डिस्कॉम द्वारा खरीद का समझौता होता है और इस आषय का पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए हस्ताक्षिरत किया जाता है जिससे सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ता किसान की बिजली 25 साल तक खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाती है।

अब एस्क्रो व्यवस्था के तहत बैंकों के ऋण की किस्त डिस्काम्स द्वारा सीधे बैंकों में काश्तकारों के खातों में जमा हो सकेगी और शेष राशि काश्तकार के खाते में जमा हो जाएगी। इससे यह साफ हो गया है कि बैंकों को ऋण राशि की किस्त सीधे डिस्कॉम से मिल जाएगी तो किसान को बैंक किस्त के अतिरिक्त शेष राशि मिल जाएगी। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि इस तरह की उपयोगी योजना को बनाते समय सभी पक्षों खासतौर से वित्तपोषण, मार्केटिंग आदि को सुनिश्चत कर लेना चाहिए ताकि योजना का समय पर और सही तरह से क्रियान्वयन हो सके। देर-सबेर ही सही पर राजस्थान सरकार की पहल पर बैंकों की सहमति से योजना को निश्चित रुप से पंख लगेंगे वहीं देश और प्रदेश दोनों के लिए यह उपयोगी योजना साकार हो सकगी। बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के बैंकों की सहमति से अब अन्य प्रदेशों के इस तरह के काश्तकारों और सरकारों के लिए भी इस योजना को आगे बढ़ाने की राह प्रशस्त हो गई है।

**–अतिथि सम्पादक,**
**डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**
**( वरिष्ठ लेखक )**

# आवागमन एवं संचार सुविधाऐं बढ़ी, क्या चुनाव क्षेत्र का पुनः सीमांकन कर घटाई जा सकती है सांसदों व विधायकों की संख्या ?

भारत में अब गुणवत्तापूर्ण आवागमन के साधन और टेक्नोलॉजी का विकास और उसकी उपलब्धता कही अधिक व्यापक और सस्ती हो हो जाने के बाद देश में अब सांसदों व विधायकों की संख्या में कम से कम एक चौथाई कमी होना देश हित में होगा। पूर्व में जब देश के प्रत्येक प्रदेश में सीमांकन आयोग के द्वारा चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया था, उस वक्त निर्वाचित सांसद और विधायक के लिए अपने निर्वाचन या चुनाव क्षेत्र में वोटरों या जनता से संपर्क साधना कुछ कठिन था, पहुँच की दृष्टि से और सम्प्रेषण अथवा संवाद की दृष्टि से कुछ कठिन भी था।

संचार साधनों तक पहुंच इस कदर बढ़ी है कि दूर-दराज गांव के प्रत्येक तीसरे युवा के पास अब मोबाइल या स्मार्ट फ़ोन या लैप टॉप मौजूद है, इसलिए निर्वाचित सांसद या विधायक पहले से 35 से 50 प्रतिशत अधिक जनसँख्या से सम्पर्क और संवाद किसी समय बना सकता है, अत: देश के परिसीमन आयोग को पुन: सीमांकन निर्धारण करना चाहिए इससे सांसदों और विधायकों पर होने वाले खर्च में कमी होगी ।

वर्तमान मे चुनाव क्षेत्र का सीमांकन 2001की जनगणना के आधार पर किया हुआ है जो 20 से अधिक वर्ष पुराना है । एक पूर्व सांसद श्री प्रतीश नंदी ने भी मई 5, 2014 के देहली के एक अंग्रेजी अखवार में 'लाइफ ऑफ़ एन इंडियन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट' शीर्षक से एक खबर छापी थी जिसमे उन्होंने आश्चर्यजनक तथ्य से कहा कि 443 सांसदों में से 315 करोड़पति थे, जिनके हाथ में हमने अपने भाग्य को सोंप दिया था।

ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लेख सरकार के पास पहुंचते नहीं? पहुंचते तो हैं लेकिन सरकार में बैठे सदस्य निर्विकार रूप से निर्विकल्प बने रहते हैं, उन्हें पता है कि कोई लेखक कुछ कर नहीं सकता। ऐसे मसले तो सुप्रीम कोर्ट में ही निर्णीत हो सकते हैं लेकिन अब कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अधिवक्ता श्री अश्वनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं लगाई हैं। आशा करनी चाहिए कि उच्च तम न्यायालय इन जनता विरोधी प्रकरणों पर शीघ्र न्याय प्रदान करेगी जिससे सरकार द्वारा फ़िज़ूलख़र्ची और अतार्किक व्यय पर पूर्णरूपेण रोक लग सके। इस विषय पर अभी दो-तीन बातें लिखना सामायक होगा ।

देश में एक आंकलन के अनुसार 4120 विधायक, 462 एम् एल सी और 776 सांसद हैं, इनके मूल वेतन पर प्रतिवर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख खर्च होता है... आवास, यात्रा, इलाज, विदेशी सैर-सपाटा और सुरक्षा कर्मिओं की इनके इर्दगिर्द फौज पर खर्चा जोड़ा जाय तो 16 अरब से भी अधिक बैठेगा। अत: कुल मिला कर 32 अरब सालाना देश के माननियों पर व्यय होता है, यह रकम जनता के द्वारा विभिन्न

प्रो. वीर बहादुर सिंह

**■ एमएलए और सांसदों के मूल वेतन, आवास, यात्रा और इलाज आदि पर हर वर्ष लगभग 32 अरब रूपये खर्च होता है**

प्रकार के टैक्स चुकाने से राज कोष में पहुँचती है, और बदले में आपके द्वारा चुने ये प्रतिनिधि सदन में कितना योगदान देते हैं? हम सभी टेलीविज़न पर देखते हैं और भी अनेक खर्च मिला कर सौ अरब रुपये से भी अधिक भार जनता पर पड़ता है, केवल स्वयं के शोषण के लिए।

पीएम को भी सब मालूम है । उन्हें अपने प्रथम काल में एक इस पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी,नहीं की; क्योंकि वह भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं और 2024 से पहले ऐसे किसी कार्य की जनता को अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्वनी उपाध्याय के कथन के अनुसार देश में लगभग सभी प्रदेश भारी कर्ज में डूबे हुए हैं उनके अनुसार कुल कर्जा यदि जोड़ा जाय तो राशि 70 लाख करोड़ के लगभग पहुंच जाती है। प्रश्न ये उठता है कि प्रदेश ये कर्ज किस्से लेते हैं और क्यों? वैसे तो भारत सरकार भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए विदेशी कर्ज लेती है लेकिन वह कर्ज एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए ही होता है और उसी में खर्च होती है। प्रदेशों में वर्तमान में ऐसा कोई बड्डा प्रोजेक्ट कार्यरत नहीं लगता जिसके लिए प्रदेशों को कर्जा लेना पड़े?

असल में छिपी बात ये है कि सभी प्रदेशों की सरकारों ने अपने स्वयं के खर्चे अनावश्यक इतने बढ़ा रखे हैं कि साधारण बजट प्रोविशंस मे केवल कर्मचारिओं का वेतन, भत्ते, पेंशन और सबसे मुख्य वर्तमान विधायकों की वेतन और पूर्व के विधायकों की पेंशन और उनकी सुरक्षा आदि पर खर्च हो जाता है। उदहरण के तौर पर यदि राजस्थान प्रदेश की बात करे तो 563 पूर्व विधायकों की पेंशन पर 29 करोड़ 82 लाख रुपए वार्षिक और पारवारिक पेंशन पर 3 करोड़ 83 लाख वार्षिक खर्च होता है। यह राशि 33 करोड 65 लाख के करीब सालाना हो जाती है।

आम जनता की गाढ़ी कमाई से टैक्स के जरिये राज कोष में जमा राशि में से करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। माननीयों के सदन में कार्य का आंकलन करते हुए और सदन में उपस्थित व सम्बाद में हिस्सेदारी अधिकांशत: नगण्य रहती है। तो फिर इन पर इतनी बड़ी धनराशि का खर्च देश व प्रदेश की जनता के कल्याण को आंकते हुए बिलकुल वाजिब नहीं कहा जा सकता।

देश के सभी प्रदेशों की अवस्था लगभग ऐसी ही है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि सभी सदनों (विधान सभा और लोक सभा) में सदस्यों की संख्या पर पुनर्विचार कर देश का परिसीमन आयोग (डीलिमिटेशन कमिशन) इस पर गंभीरता से विचार कर प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की सीमा वर्तमान से लगभग 30 से 50 प्रतिशत बढ़ा कर पुन: निर्धारण कर घोषित करे, जिससे आगामी चुनाव (2024) में उसके अनुसार ही चुनाव संपन्न हों। यदि ऐसा होता है तो जनप्रतिनिधिओं पर होने वाले खर्चे में व्यापक स्तर तक कमी संभव हो सकेगी। यह प्रकरण मेरे मस्तिष्क में कई माह से पल्वित हो रहा था। पाठकों से निवेदन है कि इस पर अपनी निष्पक्ष प्रतिक्रिया मुझे अथवा सरकार को अपने लेखों द्वारा प्रेषित करने की चेष्टा करें।

**प्रो. वीर बहादुर सिंह,**
**पूर्व कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।**

# चंबल नदी पर बने प्रदेश के सबसे बड़े राणा प्रताप सागर बांध ने 52 साल पूरे किये

**रावतभाटा,** (निसं)। चंबल नदी पर प्रदेश का सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर बांध ने बुधवार को 52 साल पूरे कर लिए हैं। रावतभाटा नगर के चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध 9 फरवरी 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पण किया गया था, उस समय यह राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र था।

इस पनबिजलीघर से आज तक 2400 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हो चुका है । तथा 29 दिसंबर से लगातार चल रही एक इकाई ने लगभग साढे तीन करोड़ यूनिट उत्पादित कर सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया। 8 माह के कठिन परिश्रम के बाद चली इकाई को राज्य स्तर पर भी सराहा गया तथा पनबिजलीघर को राज्य स्तर पर 26 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेन्स की शील्ड के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राणा प्रताप सागर बांध के स्थापना दिवस पर अधिशाशी अभियंता आशीश जैन सहित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान की। इस अवसर पर पंजाब इलेक्ट्रीक वर्क्स कोटा से आए जसविंदर सिंह का पहली इकाई में किये गये कार्यों में योगदान हेतु सम्मान किया गया।

**■ पनबिजलीघर को राज्य स्तर पर 26 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेन्स की शील्ड के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया**

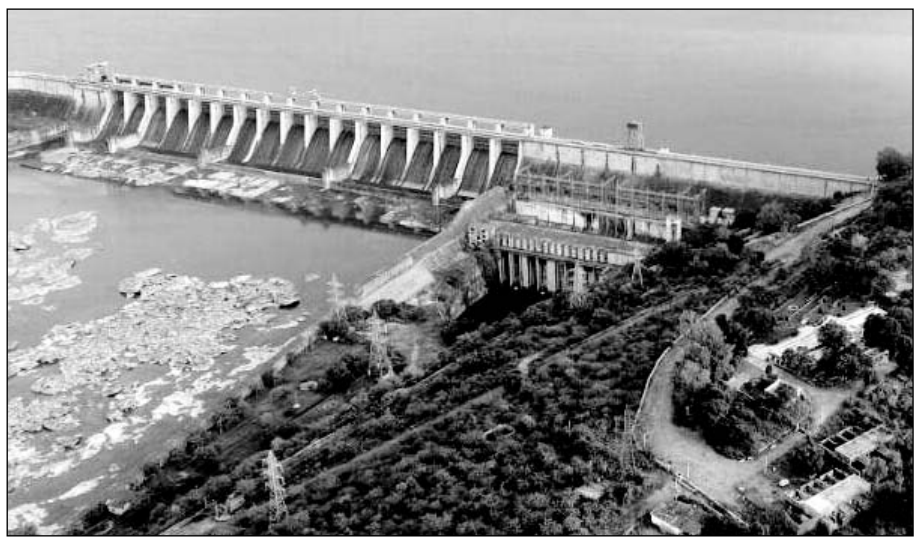

राणा प्रताप सागर बांध।

राजस्थान में चंबल पर बने सबसे बडे बांध राणा प्रताप सागर की खासियत है कि यह सर्वाधिक क्षमता का बांध है। इस बांध में पूर्ण जलाशय का 1157.50 है, तथा अधिकतम जलस्तर 1162 फीट तक हो सकता है। बांध में अतिरिक्त पानी निकासी की क्षमता 6.5 लाख क्यूसेक है, जो इसके 17 क्रेस्ट गेटो और 4 स्लूज गेटो पर आधारित है। बांध की ऊंचाई 177 फीट एवं बांध की लंबाई 1143 मीटर है। जलाशय 198 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी अधिकतम चौड़ाई 16 किलोमीटर है।

इसमें सेल भण्डारण क्षमता 290.48 करोड़ क्यूबिक मीटर है। राणा प्रताप सागर बांध पर पन बिजलीघर में 43-43 मेगावाट की क्षमता की चार इकाईयों द्वारा 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर हाड़ौती के किसानों को पानी की आपूर्ति की जाती है। 2019 में राणा प्रताप सागर बांध के सभी गेट खोल देने से राणा प्रताप सागर विद्युत गृह की समस्त इकाईयां पूर्णत: जलमग्न होकर बंद हो गई थी, जिनमें इकाई 1 को 28 माह बाद 29 दिसंबर को चलाया गया था, जो वर्तमान में लगभग 10 लाख यूनिट का प्रतिदिन उत्पादन कर राज्य को सबसे सस्ती बिजली प्रदान कर रही है। राणा प्रताप सागर बांध से राजस्थान और मध्यप्रदेश में बड़े क्षेत्रफल की सिंचाई में पानी छोड़ा जाता है। इस बांध से भीलवाडा, रामगंजमंडी, झालावाड़ को भी पेयजल परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति की जा रही है। यह बहुउद्देशीय बांध हो चुका है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार, प्रदेश को बिजली और पानी मिल रहा है। वहीं इस बांध के समीप राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना निर्माणाधीन इकाई 7 व 8, भारी पानी संयंत्र एवं निर्माणाधीन न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स भी इसी बांध पर निर्भर है।

## वर वधु ने सबसे पहले गुरूओं का आशीर्वाद लिया

**झुंझुनूं,**(निसं)। चनाना के किसान दुलाराम धींवा ने अपने बेटे संदीप की शादी भडौन्दा खुर्द निवासी लक्ष्मी से होने पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्या पुष्पा ढाका को 11हजार रुपये की राशि का चेक भेंट किया। किसान दुलाराम धींवा ने कहा कि सुविधाओं के अभाव के चलते वह आगे नही पढ पाया जिसका उन्हें मलाल है। पैसे के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नही रहें, इसके लिए वह आगे भी स्कूल के लिए मदद करते रहेंगे। नवविवाहित जोडे ने सबसे पहले स्कूल में आकर गुरुजनों से आशीर्वाद लिया। प्रेरक वरिष्ठ अध्यापक राजवीर चनाना ने बताया कि किसान के बडे बेटे व दिल्ली डिफेंस अकेडमी चुरू के निदेशक तेजपाल धींवा ने घोषणा की है संसाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नही होने दिया जाएगा महात्मा गांधी स्कूल के समस्त स्टाफ ने किसान दुलाराम धींवा का साफा पहनाकर सम्मान किया एवं आभार जताया। वर - वधु दोनो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं।

इस मौके पर व्याख्याता वीरेंद्र सिंह शेखावत, राजवीर चनाना, प्रेमलता, राकेश जांगिड, अब्दुला खान, रामनिवास, कनखाराम, प्रवीण, रामसिंह, नरेश, अरविंद, सरिता, संजू, जितेंद्र, प्रमेंद्र, राजेन्द्र, राधाकृष्ण, सुमन, माना, जगदीप, रविन्द्र, मिनेश, नीलम, दीपिका अनवार, मनोज, महावीर, महेंद्र, सुमन, पतासी देवी, रजनीश बेनीवाल सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं गणमान्य लोग मौजूद रहें।

## राशिफल गुरूवार 10 फरवरी, 2022

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2078, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 3:32 तक, ऐन्द्रयन योग सांय 6:44 तक, कौलव करण दिन 11:09 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृष, मंगल-धनु, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। ज्वालामुखी योग दिन 11:09 तक है। आज गुप्त नवरात्र समाप्त होंगे सर्वार्थ सिद्धि और आज श्री हरि जयन्ती, महानन्दा नवमी, रोहिणी व्रत (जैन) है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** शुभ सूर्योदय से 8:39 तक, चर 11:19 से 12:41 तक, लाभ-अमृत 12:41 से 3:26 तक, शुभ 4:48 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 6:11

**मेष**
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों का विस्तार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

**सिंह**
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

**धनु**
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा।

**वृष**
नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

**कन्या**
धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक मामलों में उचित परामर्श मिलेगा।

**मकर**
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

**मिथुन**
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

**तुला**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

**कुंभ**
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में मौज-मस्ती एवं उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

**कर्क**
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। परेशानियां दूर होने लगेगी। विवादों से से राहत मिलेगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

**वृश्चिक**
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

**मीन**
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा सफल रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

# भील राजा कोटिया ने की थी कोटा राज्य की स्थापना

राजस्थान में अरावली के पहाड़ों पर लगभग चार हजार वर्ष ईसा पूर्व से जनजातियों का कब्जा था। प्रदेश में कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मनोहर थाना, कुशलगढ़, भीनमाल, उदयपुर, प्रतापगढ़, भोमट, सलूंबर और जगरगढ़ क्षेत्र अरावली के पहाड़ों से घिरा हुआ था।

प्रारंभ में अरावली के पहाड़ों से घिरे इन राज्यों में लंबे समय तक भील राजाओं का शासन रहा था। राणा पूंजा भील ने मेवाड़ में भील जनजाति को एकजुट कर भीलों की मजबूत सेना का निर्माण किया। राणा पूंजा भील की इसी सेना के सहयोग से महाराणा प्रताप ने मुगलों का सामना किया था।

भील राजा कोटिया ने की थी कोटा राज्य की स्थापना। कोटा राज्य भील जाति का प्रमुख केंद्र था यहां पर कई वर्षों तक भील राजाओं का शासन रहा। कोटा के पास स्थित अकेलगढ़ का पुराना किला तथा आसलपुर की ध्वस्त नगरी पर भील राजाओं का शासन था। यहां के भील सरदारों को कोटिया उपनाम से जाना जाता था। बूंदी के शासक समरसिंह के पुत्र जैत्रसिंह ने 1274 ईस्वी में भील राजा कोटिया को मारकर कोटा राज्य पर कब्जा किया और हाडा वंश राज्य की स्थापना की।

डूंगरपुर राज्य की स्थापना डूंगरिया भील ने की थी। उसकी वीरता

पन्नालाल मेघवाल

एवं बहादुरी से अन्य राज्य भयभीत रहते थे। श्यामलदास के वीर विनोद के अनुसार चित्तौड के राजा रतन सिंह के पुत्र कुंवर महाप ने 1197 ईस्वी में डूंगरिया भील को मारकर डूंगरपुर पर अधिकार किया था।

डूंगरपुर के पहले शासक कुंवर महाप और उनके वंशज थे। कुंवर महाप ने गलियाकोट में राजधानी स्थापित की। गलियाकोट में आज भी उनका खंडहर महल है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बागोर के रावल उदयसिंह बाबर के खिलाफ मेवाड़ के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद उनके दोनों पुत्रों के बीच उसका क्षेत्र बँट गया और दो अलग-अलग राज्यों का गठन हुआ। पृथ्वीराज डूंगरपुर में रहे जबकि उनके भाई जगमालसिंह बांसवाड़ा के स्वतंत्र शासक बने।

भील राजा बिया (बापड़ा) चरपोटा ने चित्तौड़गढ़, मल्हारगढ़ एवं धारगढ़ राजधानियों पर राज किया। उनके दो पुत्र अमरा एवं वागा चरपोटा थे। भील राजा बिया के पुत्र भील राजा अमरा ने अमरथुन बसाया। दूसरे पुत्र भील राजा वागा ने वाडगुन बसाया।

भील राजा अमरा के दो पुत्र बांसिया एवं बदिया थे। भील राजा अमरा के बाद भील राजा बांसिया यहां के शासक बने। राजा बांसिया व उसके भाई बहन ने अमरचंद नगर से निकलकर एक घने जंगल को काटकर नगर बसाया, जिसका नाम भील राजा बांसिया के नाम से बांसवाड़ा किया गया।

भील राजा बांसिया ने बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने बांसवाड़ा की स्थापना 14 जनवरी 1515 ईस्वी को मकर संक्रांति के दिन की थी। इस दिन खुशी से तिल-पपड़ी का प्रसाद बनाकर पूरे नगर में बांटा गया। यह परंपरा बांसवाड़ा में आज भी चल रही है।

बांसिया भील की दो पत्नियां संवाई एवं हंगवाई थी। संवाई के नाम से संवाईपुरा नगर बसाया गया जबकि हंगवाई के नाम से अमरथुन में हंगनगर पहाड़ का नामकरण किया गया। बांसिया भील के तीन बहनों के नाम से

तालाबों का नामकरण किया गया।

बांसिया भील ने बांसवाड़ा में समाईपुरा और अमरथुन में हुरनगर पहाड़ पर किले का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। डूंगरपुर राज्य के उदयसिंह के द्वितीय पुत्र जगमाल ने इस राज्य को जीतकर अपना अधिकार किया था। वागड़ प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी भील समुदाय की है। भील समुदाय में स्त्री एवं पुरुष समान हैं। अप्रैल महीने में भगोरिया त्यौहार होता है। इसमें लड़के-लडकियां मेले में आते है। इस मेले में वे अपना पसंदीदा जीवनसाथी चुनकर परिणय सूत्र में बंधते हैं।

**पन्नालाल मेघवाल,**
**वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार।**